भारत सरकार

मत्स्यपालन,पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या – 217

दिनांक 03 अगस्त,2021 के लिए प्रश्न

गैर-कानूनी, असूचित और अविनियमित मत्स्यन

***217. श्री बृजेन्द्र सिंहः**

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गैर-कानूनी, असूचित और अविनियमित (आईयूयू) मत्स्यन से हमारे समृद्ध जलीय संसाधनों और राष्ट्रीय समुद्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न होता है;

(ख) यदि हां, तो आईयूयू मत्स्यन को रोकने के लिए विद्यमान वर्तमान दिशा-निर्देश क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार द्वारा खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा जारी की गई 'सतत मात्स्यिकी एवं जलीय कृषि संबंधी घोषणा' के संबंध में बेहतर अनुपालन के लिए विशिष्ट नीतियां बनाए जाने का विचार है/ बनाई गई हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

गैर-कानूनी, असूचित और अविनियमित मत्स्ययन के बारे में श्री बृजेन्द्र सिंह, माननीय संसद सदस्य द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2021 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 217 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) गैर-कानूनी, असूचित अविनियमित (आई.यू.यू) मत्स्यन समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के खतरों में से एक है जिसमें मात्स्यिकी के स्थायी रूप से प्रबंधन के साथ-साथ समुद्री जैव विविधता को संरक्षण करने के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रयासों को कमजोर करने की क्षमता है। भारतीय समुद्र में अपंजीकृत नौकाओं की उपस्थिति राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती है।

(ख) भारतीय समुद्री जोन (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्ययन का विनियमन) अधिनियम, 1981 और सभी समुद्री राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समुद्री मत्स्ययन विनियमन अधिनियम जैसे विनियामक ढांचे क्रमशः विदेशी जलयानों और भारतीय जलयानों द्वारा गैर-कानूनी, असूचित और अविनियमित मछली पकड़ने के कतिपय रूपों को रोकने के लिए मौजूद हैं।

(ग) खाद्य और कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) की मात्स्यिकी संबंधी समिति (सी.ओ.एफ.आई.) ने फरवरी, 2021 में आयोजित अपनी चौतीसवीं बैठक में जिम्मेदार मात्स्यिकी की आचार संहिता की 25 वीं वर्षगांठ मानने के दौरान 'सतत मात्स्यिकी एवं जलीय कृषि संबंधी घोषणा' को अपनाया है। 'सतत मात्स्यिकी और जलीय कृषि' के कई घटक 28 अप्रैल, 2017 को अधिसूचित राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी नीति, 2017 में पहले ही शामिल कर लिए गए हैं।

****